



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5931

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 38580 वर्ष 2025

राजप्रकाश उर्फ अनिकेत

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: उपेंद्र उपाध्याय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, शिवम यादव

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची पुनरीक्षित कर दी गई है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री उपेंद्र उपाध्याय, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम यादव की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य यादव और विद्वान राज्य विधि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारी श्री आर.पी. पटेल की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 374/2021, धारा 452, 302, 376 आईपीसी और 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन ढोलना, जिला कासगंज में जमानत याचिका दायर की है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह 11.11.2021 से जेल में है, इसलिए उसके भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इस बीच केवल दो गवाहों से पूछताछ की गई है, वह भी औपचारिक प्रकृति के। एफआईआर में नामित चार आरोपियों में से तीन को पुलिस ने बरी कर दिया है और सूचनाकर्ता ने इसे चुनौती नहीं दी है, इसलिए आवेदक जमानत का भी हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक ने उसे किशोर घोषित करने के लिए एक आवेदन दायर किया है और वह आवेदन लंबित है। इसलिए, उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि आवेदक किशोर है, अतः आवेदक धारा 439 सीआरपीसी के तहत आवेदन नहीं कर सकता। आवेदक एक ही समय में दो प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक समवर्ती पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 52149/2019 में दिनांक 21.7.2023 को दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसके अनुच्छेद इस प्रकार हैं:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने प्रारंभ में ही प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि धारा 439 सीआर. के तहत वर्तमान आवेदन विचारणीय नहीं है क्योंकि आवेदक को किशोर घोषित करने के लिए गंभीरतापूर्वक उपाय किया जा रहा है और इस प्रकार आवेदक एक ही समय में दो कानूनों, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लाभ नहीं उठा सकता। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि किशोर न्याय अधिनियम में भी एक आरोपी को जमानत देने का प्रावधान है और आरोपी उसमें किशोर घोषित होने के उपाय की खोज कर रहा है इसलिए उसे जमानत के लिए सीआर.पी.सी. के प्रावधानों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वर्तमान जमानत आवेदन विचारणीय नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक या तो सीआर.पी.सी. के प्रावधानों का सहारा ले सकता है। या किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का उपाय नहीं अपनाया जा सकता, लेकिन एक अधिनियम के तहत उपाय का सहारा लेने के बजाय दूसरे अधिनियम के लंबित रहने के दौरान दूसरे अधिनियम के तहत उपाय का लाभ नहीं उठाया जा सकता। यह तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

14. क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के प्रावधानों का प्रयोग किसी अभियुक्त द्वारा जमानत प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जबकि वह किशोर घोषित किए जाने के अपने उपाय का सक्रिय रूप से पालन कर रहा हो, यह मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में, एक खंडपीठ के समक्ष एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भेजा गया एक संदर्भ था। तेजराम नागराची किशोर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (स्टेशन हाउस ऑफिसर के माध्यम से): 2019 एससीसी ऑनलाइन अध्याय 24 का मामला निम्नलिखित संदर्भ के साथ एक खंडपीठ को भेजा गया था:

"1. दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") की धारा 439 के तहत दायर ये दो जमानत याचिकाएं हमारे समक्ष माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा मोहन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2005 क्रिमिनल लॉ जज 3271 : 2005 एससीसी ऑनलाइन अध्याय 126) के मामले में समन्वय पीठ द्वारा लिए गए मत से असहमत होते हुए किए गए संदर्भ का उत्तर देने के लिए रखी गई हैं, जिसका अनुसरण सुभाष कुमार उर्फ सोनू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (एमसीआरसी संख्या 5651/2014, दिनांक 28.11.2014 का आदेश) में किया गया है। जबकि मोहन और सुभाष कुमार उर्फ सोनू के मामलों में यह मत था कि किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 12 में निहित प्रावधानों के बावजूद, जो किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद "2015 का अधिनियम") के समान है, धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका संहिता की धारा 439 सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय है,

इस दृष्टिकोण की सत्यता पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है और निम्नलिखित प्रश्न को दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय के लिए संदर्भित किया गया है:

न्यायाधीशों द्वारा:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“क्या किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 में निहित गैर-बाधा खंड को देखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के प्रावधान, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित कानून से संघर्षरत बच्चे द्वारा जमानत देने के लिए लागू होते हैं?”

2. मोहन (उपरोक्त) मामले में, पैरा-13 में यह कहा गया है कि अधिनियम, संहिता की धारा 438 और 439 के तहत जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की शक्ति और अधिकारिता को समाप्त नहीं करता है। इसी प्रकार का विचार एक अन्य समन्वय पीठ ने सुभाष कुमार उर्फ सोनू के मामले में भी व्यक्त किया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, और पैरा-12 में यह कहा गया है:-

“12. इस प्रकार, अधिनियम, 2000 की धारा 6 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 2000 के तहत किशोर न्याय बोर्ड को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय द्वारा अपील, पुनरीक्षण या अन्य किसी भी रूप में किया जा सकता है, और "अन्य" शब्द में धारा 439 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही भी शामिल है। अतः, मैं मानता हूँ कि सत्र न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने पर किशोर द्वारा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर की गई यह जमानत याचिका कानून के तहत स्वीकार्य है और तदनुसार निर्णय लिया जाता है।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. इसके विपरीत मत अपनाते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने संदर्भ आदेश के पैरा-18 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला: ”

18. उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में जमानत देने का प्रावधान है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 या 439 के तहत जमानत देने की योजना से भिन्न है, क्योंकि दोनों अलग-अलग विचारों पर आधारित हैं, हालांकि कुछ विचार, जैसे कि जमानत देने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति न होने की संभावना, दोनों मामलों में प्रासंगिक हो सकते हैं। अतः, यह स्पष्ट है कि जमानत देने की दो योजनाएँ, एक जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के तहत गिरफ्तारी के बाद जमानत से संबंधित है और दूसरी जो अधिनियम 2015 की धारा 12 के तहत है, एक दूसरे के साथ असंगत हैं और उनमें अत्यधिक विरोधाभास है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय, आरोपों की गंभीरता मात्र जमानत खारिज करने का आधार हो सकती है, लेकिन नाबालिग को जमानत देने पर विचार करते समय ये विचार लागू नहीं होते। इसी प्रकार, किशोर न्याय बोर्ड को किशोर की जमानत याचिका को अस्वीकार करना होगा, यदि यह मानने का उचित आधार हो कि रिहाई से किशोर को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा हो सकता है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 या 439 के तहत जमानत याचिका पर विचार करते समय प्रासंगिक नहीं हो सकता है। इसलिए, सामान्य कानून और विशेष कानून के तहत गिरफ्तारी के बाद जमानत देने की योजना का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि दोनों योजनाएँ एक-दूसरे के साथ असंगत हैं। यदि इस प्रकार का संघर्ष, असंगति या विरोधाभास मौजूद है, तो नॉन ऑब्स्टेंट खंड सामान्य प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर करने के लिए लागू होगा, जो दंड

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रक्रिया संहिता के तहत निहित जमानत से संबंधित हैं, उस हद तक, जहां तक यह 2015 के अधिनियम की धारा 12 के तहत गिरफ्तारी के बाद जमानत देने की योजना के साथ असंगत है। यह भी कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जहां विशेष कानून में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है और यह किसी विशेष पहलू पर मौन है, वहां सामान्य कानून के प्रावधान लागू होंगे।

16. डिवीजन बेंच ने संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया:

16. संक्षेप में, हमारा मानना है कि किसी किशोर को जमानत देना किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत किया जाना चाहिए, न कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 या 439 के तहत। अतः, जमानत देने के ये आवेदन विचारणीय नहीं हैं।

17. आवेदक किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत उपलब्ध उपाय का पालन कर रहा है। वह साथ ही साथ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उपाय नहीं अपना सकता। यद्यपि उसकी माता द्वारा उसे किशोर घोषित करने के आवेदन पर विचार कर रहे संबंधित न्यायालय ने उसके स्वयं को किशोर घोषित कराने के प्रयास को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और राज्य तथा प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं तथा अवर न्यायालय द्वारा की गई जांच के मूल अभिलेख भी मंगवाए गए हैं। आवेदक को दो अधिनियमों के तहत एक साथ उपाय अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, विशेषकर तब जब दोनों अधिनियमों में अंतिम निर्णय का प्रावधान हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. मामले के तथ्यों और खंडपीठ द्वारा संदर्भ पर लिए गए निर्णय के मद्देनजर, वर्तमान जमानत याचिका विचारणीय न होने के कारण खारिज की जाती है।

6. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। अवर न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि न्यायालय ने मामले का संज्ञान 27.1.2022 को लिया था और आवेदक के खिलाफ 11.4.2023 को आरोप तय किए गए थे। इसी बीच, किशोर घोषित करने के लिए आवेदन इस न्यायालय में दायर किया गया और इसे निस्तारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया। किशोर न्याय बोर्ड ने आवेदक की आयु 18 वर्ष 9 महीने और 22 दिन निर्धारित की है। इस आदेश के विरुद्ध, सत्र न्यायालय में अपील संख्या 28/2023 दायर की गई थी और 1.11.2023 के आदेश के अनुसार, अपील संख्या 28/2023 लंबित रहने तक गवाह के खिलाफ कोई समन जारी नहीं किया जाना था। उक्त अपील का निपटारा 4.1.2025 को इस निर्देश के साथ किया गया कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आयु का पुनर्निर्धारण किया जाए। इसके बाद, किशोर न्याय बोर्ड ने दिनांक 4.7.2025 के आदेश द्वारा अपराधी की आयु 17 वर्ष 10 महीने और 28 दिन निर्धारित की। इस आदेश को चुनौती दी गई है और 9.9.2025 को अपील दायर की गई है, जो धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत पोक्सो न्यायालय में लंबित है। इस बीच, पोक्सो न्यायालय ने दो गवाहों, पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-2 को तलब किया। उनकी जांच की गई और उनके बयान दर्ज किए गए, लेकिन जिरह पूरा नहीं हो सका।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद, ट्रायल न्यायालय से प्राप्त उपरोक्त स्थिति रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदक दिनांक के अनुसार किशोर है, यद्यपि किशोर घोषित करने का यह निर्णय पोक्सो न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है। इन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिस्थितियों में, जमानत याचिका योग्यताहीन पाई जाती है और धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत इस पर विचार नहीं किया जा सकता है, और तदनुसार, इसे अस्वीकार कर दिया जाता है और आवेदक को किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले का निपटारा यथाशीघ्र किया जाए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों में **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार है, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

9 जनवरी, 2026

शालिनी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।